न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 137 / 2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
बुधाराम पुत्र केशाराम जाति जाट निवासी माण्लजोधा तहसील डेगाना जिला नागौर।		तहसीलदार, डेगाना।

उपस्थिति :–

1. श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 09.11.2020

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 68 / 2019 सरकार बनाम बुधाराम में निर्णय दिनांक 20.08.2019 के तहत मौजा माण्डलजोधा के खसरा नं. 172 गै.मु. सडक भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 5.11.19 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 18.12.2019 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 20.08.19 की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस गत बंदोबस्त की फोटोप्रति, नक्शा संवत 2005–06 की फोटोप्रति, उपखण्ड अधिकारी डेगाना के पत्र दिनांक 2.8.19 की फोटोप्रति, न्यायालय एसीजेएम डेगाना मे प्रस्तुत मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना मे तहसीलदार डेगाना द्वारा प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति तथा नजरी नक्शा की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट ने लिखित जवाब दिनांक 20.8.19 को पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब लेकर अपीलांट को यही बताया गया कि उनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप करने की सूचना दे दी जायेगी व आगामी पेशी के बारे मे बाद मे पता करने बाबत बताया जिससे अपीलांट जवाब पेश करके गांव चला गया। लेकिन बाद मे न तो कोई आगामी पेशी की सूचना दी गयी न ही अन्य कोई सूचना अपीलांट को उपलब्ध करवायी व अपीलांट को साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना उसी दिन धोखे मे रखते हुए उसकी पीठ पीछे निर्णय जैर अपील पारित कर दिया व उसकी कोई जानकारी अपीलांट को नही हो सकी, हाल ही मे गांव मे ऐसी चर्चा सुनने पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे जाकर पता किया व नकल का आवेदन पेश करने पर दिनांक 31.10.19 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर सर्वप्रथम इस निर्णय की जानकारी हुई। फिर दिनांक 1.11.19 को जानकारों से पूछने पर अपील की राय मिलने पर उसी दिन तुरंत नागौर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर सारे हालात बताकर सांय तक अपील तैयार करवायी तत्पश्चात दिनांक 2 व 3.11.19 को सरकारी अवकाश होने से बिना किसी देरी के अपील दिनांक 4.11.19 को प्रस्तुत की गई। जिससे न्याय हित मे अंदर मियाद शुमार करना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्व व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे जवाब पेश करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि राजस्व गांव माण्डल जोधा मे स्थित डामर सडक निर्माण से पूर्व कटाणी मार्ग जिसके पुराने खसरा नं. 183 है एवं

अपर कलक्टर, नागौर

इसके चिपते ही अपीलांट का पुश्तेनी खेत खसरा नं. 179 रकबा 19 बीघा 2 बिस्वा आया हुआ है तथा सन् 1974 मे पटवारी उक्त कटाणी मार्ग जिसके साथ संलग्न नजरी नक्शा मे उक्त कटाणी मार्ग खसरा नं. 183 दर्शाया हुआ है। जिसकी छाया प्रति भी अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गयी व निवेदन किया कि साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय नागौर से जारी मोमी ट्रेस नक्शा की छाया प्रति भी पेश की थी। जिन दोनो मे किसी प्रकार की भिन्नता नही है। सन् 1975 मे अकाल राहत के तहत उक्त कटाणी मार्ग खसरा नं. 183 पर ही ग्रेवल सडक का निर्माण करवाया गया तब बाजिया परिवार के पूर्वजो के खेत खसरा नं. 179 के पास मोड होने के कारण उक्त कटाणी मार्ग को छोडकर बाजिया परिवार के पुश्तेनी खेत मे से बिना किसी अधिग्रहण की कार्यवाही किये सडक बना दी एवं उक्त खेत रकबा 19 बीघा 2 बिस्वा मे से सडक सीमा मे आयी जमीन 3 बीघा 15 बिस्वा कम कर दी। भू प्रबंध विभाग द्वारा नये सेटलमेंट तक उक्त सडक जो पुराने कटाणी मार्ग पर ही आज दिन तक बनी हुई होते हुए भी नया नजरी नक्शा बनाया गया है। जिसके पुराने कटाणी मार्ग 183 को राजस्व रेकर्ड मे यथावत तथा उसके पेरेरल नई सडक नक्शा मे दिखाई है। जबकि वास्तविक स्थिति तो मौके पर यह है कि सडक पुराने रास्ते पर खसरा नं. 183 पर ही मौजूद समय मे बनी हुई है। इस प्रकार रास्ते पर अवरोध का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। रास्ता डामर सडक के रूप मे आज दिन मौजूद है व निर्बाध रूप से चालू है। इसके बावजूद पटवारी ने व्यक्ति विशेष को नाजायज तंग परेशान करने के लिये बिना अतिक्रमण हुए मिथ्या रिपोर्ट पेश कर कार्यवाही करवायी है व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संपूर्ण स्थिति स्पष्ट कर देने के बावजूद वास्तविक स्थिति बाबत अपने स्तर पर किसी प्रकार की जांच किये बिना सरसरी तौर पर ही निर्णय जैर अपील पारित करने मे विधिक त्रुटि की है।

{2}(III)—माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत डीबी सिविल रिट पिटिशन (पीएलआई) नं. 4137/2019 जिसका निर्णय दिनांक 22.5.19 को पारित हुआ जिसकी पालना मे माननीय जिलाधीश महोदय नागौर के समक्ष पुराने नक्शा के अनुसार नये सिरे से माप करने का आग्रह किया गया, जिस पर जिलाधीश नागौर द्वारा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी डेगाना को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया। उपखण्ड अधिकारी डेगाना द्वारा अपने पत्रांक 1392—93 दिनांक 2.8.19 को तहसीलदार डेगाना के कार्यालय को नये नक्शे के स्थान पर पुराने के आधार पर नाप करवाने की नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत करवाने के निर्देश दिये, इसके बावजूद तहसीलदार डेगाना द्वारा उसकी पालना करवाना तो दूर, बेदखली की गैर कानूनी कार्यवाही हाजा अमल मे लायी गयी व बिना किसी आधार के अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए निर्णय जैर अपील पारित करने मे भारी कानूनी व वाकियाति त्रुटि की है।

{2}(IV)—तहसीलदार डेगाना ने उपखण्ड अधिकारी डेगाना का आदेश पुराने नक्शा अनुसार नाप चोप का था, जिस पर आज दिन तक कोई कार्यवाही नही की है व कानूनी प्रक्रिया को ताक मे रख कर कुछ व्यक्ति विशेष नरसीराम, खीवराज, रामदेव, खेमाराम वगैरा के प्रभाव मे आकर उनको नाजायज फायदा पहुँचाने की नियत से कार्यवाही हाजा अमल मे लायी जाकर निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व ढंग से पारित किया गया है। जबकि रास्ते पर अवरोध अतिक्रमण बाबत अन्य किसी प्रकार राहगीर व काश्तकारो या ग्रामीणों की कोई शिकायत कभी नही रही है।

{2}(V)—अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस संबंध मे बाजिया परिवार के ही भंवरलाल पुत्र केसाराम जाट निवासी माण्डलजोधा द्वारा सिविल न्यायालय डेगाना मे वाद पेश किया जो विचाराधीन है। उक्त वाद मे न्यायालय द्वारा नियुक्त मौका कमीश्नर ने मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार कर सिविल न्यायालय मे पेश की जिसमे उक्त सडक के नजदीक मे दक्षिणी तरफ किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही बताया है तथा उक्त सिविल वाद मे तहसीलदार डेगाना पक्षकार भी है। तहसीलदार डेगाना के समक्ष जब यह स्थिति स्पष्ट कर दी गयी कि उक्त जमीन के संबंध मे सक्षम सिविल न्यायालय व उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय मे दावे व कार्यवाहियां विचाराधीन है तथा उनमे तहसीलदार डेगाना स्वयं पक्षकार है व उन सिविल वाद व कार्यवाहियों का अंतिम निस्तारण नही हुआ है। वैसी सूरत मे तहसीलदार डेगाना को ऐसा निर्णय उसी विवादित आराजी के संबंध मे पारित करने का कोई अधिकार नही था। न है इसके बावजूद भी तहसीलदार ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सभी विधिक प्रावधानो की अनदेखी करते हुए निर्णय जैर अपीली पारित करने मे विधिक त्रुटि की है।

{2}(VI)—गांव माण्डलजोधा मे कथित सडक पुराने कटाणी रास्ता जहां चलता था। वही पर बनी हुई है तथा सिविल न्यायालय मे प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे भी सडक उसी स्थान पर होना व दोनो तरफ काफी खुली जगह होना दर्शाया हुआ है। इन सभी परिस्थितियों मे अपीलांट को बिना किसी आधार के अतिक्रमी

अपर कलक्टर, नागौर

घोषित कर बेदखली व जुर्माना से दण्डित करना कतई न्याय संगत नही होते हुए भी तहसीलदार डेगाना ने वास्तविक राजस्व नक्शो का अवलोकन किये बिना व अपने स्तर पर मौका जांच किये बिना व उपखण्ड अधिकारी व जिलाधीश के पत्रांक व आदेश को नजरअंदाज करते हुए विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निरंकुश निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–अपीलांट का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा अतिक्रमण मौके पर न तो था न है मौके पर कटाणी रास्ता खसरा नं. 183 का पटवारी ने विधिवत नाप चोप नही किया है व नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही चल रही है। सिविल न्यायालय मे राज्य सरकार/तहसीलदार डेगाना के विरूद्व कार्यवाही करने से नाराज होकर दबाव बनाने के लिये यह मिथ्या कार्यवाही कर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त सडक के दक्षिणी तरफ एक ही सीध मे जो बाडे काश्तकारों के बने हुए है। उनके चिपते ही दक्षिण मे जिनका खेत आया हुआ है। वे सडक के चिपता आने चाहते है। इसलिये पटवारी से सांठ गांठ कर यह मिथ्या कार्यवाही करवायी गयी है। इन परिस्थितियों मे निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व व निरकुंश निर्णय की तारीफ मे आने से निरस्तनीय है।

{2}(VIII)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय जैर अपील मे निर्णय का आधार कथित टीम द्वारा नाप चोप करना बताया है। जबकि मुख्य विवाद यह रहा है कि कटाणी रास्ता जो खसरा नं. 183 जो पूर्व राजस्व नक्शा मे जिस स्थान पर था उसी स्थान पर आज दिन सडक बनी हुई है व नये नक्शा मे सडक को वास्तविक स्थान पर नही दर्शा कर तकनीकी त्रुटिवश या किसी मिलावटी ढंग से वास्तविक स्थान से हट कर नक्शा मे अंकन हो रखा है। उसी त्रुटिवश गलत बने गये नक्शे मे आधार पर ही कथित टीम की नाप चोप रिपोर्ट को निर्णय जैर अपील का आधार बनाकर निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी त्रुटि की है। इस प्रकार प्रकरण हाजा मे विवाद केवल पुराने व नये राजस्व नक्शा मे दुरूस्तीकरण का है। इसके बावजूद एक समूह विशेष के लोगो के अनुचित दबाव व प्रभाव मे आकर अनावश्यक रूप से 91 की कार्यवाही की गयी है। जबकि नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही चल रही है। नक्शा दुरूस्त होने पर कथित विवाद स्वतः समाप्त हो सकता था व हो सकता है। इसके बावजूद ऐसा नही करके अनावश्यक रूप से तंग परेशान करने हेतु निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व पारित किया गया है।

{2}(IX)–वकील अपीलांट द्वारा बहस जारी रखते हुए आगे तर्क दिया कि मौजा माण्डलजोधा के खसरा नं. 179 रकबा 19.02 बीघा भूमि हरदीन, शिवकरण पिता डूंगा जाट की खातेदारी मे रहती आयी है। जिसमे से 3.15 बीघा भूमि संवत 2031–34 की जमाबंदी के दौरान बिना किसी नामान्तरकरण अथवा सक्षम आदेश के सरकारी भूमि दर्ज कर दी तथा इस भूमि पर डामर सडक भी बन गई है। उनके द्वारा हमारा ध्यान मिलान क्षेत्रफल संवत 2065 से 2084 की ओर दिलाते हुए तर्क दिया कि साबिका खसरा नं. 179 रकबा 0.83 हैक्ट. के नये खसरा नं. 171, साबिका खसरा नं. 179/1 रकबा 0.61 हैक्ट. के नये खसरा नं. 172, साबिका खसरा नं. 179/2 रकबा 0.73 हैक्ट. के नये खसरा नं. 173, साबिका खसरा नं. 179/3 रकबा 0.1 हैक्ट. के नये खसरा नं. 174, साबिका खसरा नं. 179/3 मिन रकबा 0.92 हैक्ट. के नये खसरा नं. 175 बने है। जिनका कुल क्षेत्रफल 19.02 बीघा ही बनता है। इनमे से वर्तमान खसरा नं. 171, 173, 174, 175 अपीलांट व अन्य भाईयों की खातेदारी मे दर्ज किये गये है। जबकि खसरा नं. 172 रकबा 0.61 हैक्ट. गै.मु. सडक दर्ज कर दी गई है। जबकि वास्तविक रूप से यह भूमि बिना किसी सक्षम आदेश के गै.मु. दर्ज किये जाने से राजकीय भूमि नही होकर अपीलांट व उनके भाईयों की खातेदारी भूमि का हिस्सा होने से उन्हे इस भूमि पर अतिक्रमी नही माना जा सकता है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि राजकीय भूमि खसरा नं. 172 मे डामर सडक बन जाने के पश्चात भी काफी जगह खुली पडी होना, सडक के सहारे की भूमि खातेदारान की होने के बावजूद सडक के रकबे मे दर्ज किये जाने, नवीन खसरा नं. 172 पर सडक दर्ज किये जाने के संबंध मे नामान्तरकरण दर्ज नही होना व राजस्व कर्मचारियो से संहवन से भूलवश उक्त इन्द्राज किये जाने के तथ्य तहसीलदार ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना के न्यायालय मे चल रहे वाद सं. 23/2017 बुधाराम बनाम राज्य सरकार व अन्य मे जवाब दिनांक 9.6.20 मे स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट को आराजी भूमि पर अतिक्रमी नही माना जा सकता है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि मौजूदा राजस्व रेकर्ड मे आराजी खसरा नं. 172 गै.मु. सडक राजकीय भूमि दर्ज है तथा यदि त्रुटिवश भी खातेदारी से रकबा कम कर सडक दर्ज कर दिया गया हो तो इस हेतु अपीलांट को नियमित न्यायालय द्वारा ही अनुतोष दिया जा सकता है। वर्तमान मे भूमि राजकीय खाते मे दर्ज होने से उस पर काबिज व्यक्ति पर राजस्थाना भू राजस्व अधिनियम,

अपर कलक्टर, नागौर

1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है। अपीलांट द्वारा मौजा माण्डलजोधा में स्थित गै.मु. सडक भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके माण्डलजोधा के खसरा नंबर 172 गै.मु. सडक भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. सडक है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2017–20 के अनुसार खसरा नं. 179 रकबा 19.02 बीघा भूमि हरदीन, शिवकरण पुत्र डूंगा जाट की खातेदारी मे दर्ज है। इसी भूमि मे से हाल खसरा नं. 172 रकबा 0.61 हैक्ट. गै.मु. सडक के रूप मे दर्ज हुआ है। उक्त भूमि को लेकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना मे राजस्व वाद सं. 23/2017 बुधाराम बनाम सरकार अधीन धारा 88, 89, 91, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत लंबित है। जिसमे तहसीलदार द्वारा अपने जवाब दिनांक 9.6.2020 मे नवीन खसरा नं. 172 सडक दर्ज करने का इन्द्राज का कोई नामान्तरकरण दर्ज नही हुआ तथा भूलवश इन्द्राज किया जाना व सडक के सहारे की भूमि खातेदारान की होने के बावजूद सडक के रकबे के रूप मे दर्ज किये जाने के तथ्य को स्वीकार भी किया गया है। वही तहसीलदार द्वारा इसी भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली व जुर्माने से संबंधित आदेश पारित किये गये है, जो एक दूसरे के विरोधाभासी प्रकट होते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जरवेशन को ध्यान मे रखते हुए अपीलांट को नोटिस देकर शहादत, सबूत तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर
नागौर

अपर कलक्टर नागौर